निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष 1931 (श0)
(सं0 पटना 56) पटना, सोमवार, 18 जनवरी 2010

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

15 जनवरी 2010

सं0 16/सी0-1-24/08-31/(दे0चि0)—समादेश याचिका संख्या 3777/2008 (डा0 एजाज अंसारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में दिनांक 24 जून 2008 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना सं0 716(दे0चि0), दिनांक 21 नवम्बर 1992 में निहित निर्णय को इस हद तक संशोधित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था कि केन्द्रीय होमियोपैथिक रेगूलेशन लागू होने के वर्ष 1983 तक चतुर्थवर्षीय डी0एच0एम0एस0 (डिप्लोमा) कोर्स में नामांकित छात्रों के डिप्लोमा की मान्यता डिग्री के समतुल्य प्रदान की जाय ।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (आयुष विभाग) भारत सरकार नई दिल्ली से इस संबंध में परामर्श प्राप्त किया गया । आयुष विभाग के पत्रांक आर-13040/59/2008 एच0डी0 (टेक) दिनांक 9 अक्तूबर 2009 द्वारा समादेश याचिका संख्या-3777/2008, में दिनांक 24 जून 2008 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया ।

3. अतः सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय होमियोपैथिक रेगुलेशन लागू होने के वर्ष 1983 तक चतुर्थवर्षीय डी0एच0एम0एस0 (डिप्लोमा इन होमियोपैथिक मेडिसीन एवं सर्जरी) कोर्स में नामांकित छात्र भले ही उसका परीक्षाफल 1983 के बाद प्रकाशित हुआ हो, के डिप्लोमा (Diploma) की मान्यता सभी प्रयोजनों के लिए डिग्री (B.H.M.S.) के समतुल्य प्रदान की जाती है ।

4. यह अधिसूचना तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम कुमार पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 56-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in